यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

रामसिंह बनाम दूधा

19-6-19 वकील वादी उपस्थित। वास्ते बहस दि० 26-6-19 को पेश हो।

26-6-19 वकील वादी उपस्थित। आज बार संघ का कार्य स्थगन है दि० 3-7-19 को पेश हो। इतना लिखने पर वकील वादी ने बताया कि लिखित बहस पूर्व में पेश की हुई है। बहस सुनी की जाकर पत्रावली आदेशार्थ रखी जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-6-19 को पेश हो।

27-6-19 वकील वादी उपस्थित। बहस वादी सुनी गई। निर्णय पृथक से अंकित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। सुनाया गया।

यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

द सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
01	4.9.17	27.6.19

उनवान

रामुसिंह पुत्र प्रेमसिंह यादव जाति अहीर निवासी कौशलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर :–वादी:–

बनाम

. दूधाराम पुत्र हीरालाल
. मु0रेशम पत्नि दूधाराम
. सुगन पुत्र जगराम उर्फ जग्गा गूर्जर निवासीयान ग्राम सेवखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर। :–प्रतिवादीगण:–

दावा दखलयाबी मय हु0इ0दवामी

उपस्थितिः– 1.श्री जर्नादन शर्मा वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आ0ख0नं0 /1437/0.20 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास से प्रतिवादीगण नं0 1,2,3 को ल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढबास को आदेश दिये जाते है कि को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलावें। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
101	4-9-17	27-6-19

उनवान

1- रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह यादव जाति अहीर निवासी कोटपुर तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- दुधाराम पुत्र हीरालाल

2- मु. रेशम पत्नि दुधाराम

3- सुगन पुत्र जगराम उर्फ जग्गा गूजर निवासीयान ग्राम सेवड़ा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-प्रतिवादीगण

दावा दखलयाबी मय हु.इ.दवामी

उपस्थिति:-1-श्री जनार्दन शर्मा वकील वादी की ओर से।

2-प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

(निर्णय)

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादी ने वाद पेश किया कि वादी आ.ख.नं. 1242/1437/0.20 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास का खातेदार है।

ख.नं. 1242/0.61 वाके अलमदीका का वादी 1/3 भाग, मानसिंह पुत्र मायादेवी व कृष्णादेवी पुत्रीयान श्योदान 1/3 भाग एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र तोताराम गूर्जर 1/3 भाग के सहखातेदार शामलात मे काश्त रखते थे। सहखातेदारों के मध्य शामलात में काश्त करना सम्भव नहीं हो रहा था इसलिये मानसिंह, पुत्र मायादेवी कृष्णादेवी पुत्रीयान श्योदान ने राजस्व वाद बअनुसान मानसिंह बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा न्यायालय उपखण्डाधिकारी में तकासमा का वाद दायर किया। जो वाद बाद कुर्रे कायमी रिपोर्ट के दिनांक 12-3-16 को फाईनल डिक्री किया गया। जिसमें वादी को आ.ख. नं. 1242/1437/0.20 दिया गया। जिसमें वादी ने सम्वत् 2073-74 में खरीफ फसल की रबि की फसल बोटर और काटी। माह अप्रेल-मई में वादी

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

ने अपनी खातेदारी व कब्जा की आराजी ख.नं. 1242/1437/0.20 में ट्रेक्टर से जुताई कर खरीफ की फसल बाजरा बोने के लिये तैयार किया किन्तु वर्षा होते ही दिनांक 29-5-17 को प्रतिवादीगण सं. 1लगा. 3 ने वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर बाजरा की फसल की बुवाई करदी। वादी को मालूम होने पर वादी ने दिनांक 30-5-17 को प्रतिवादीगण को कहा कि वादी की आराजी में जबरन बाजरा की फसल की बुवाई क्यों की है। इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि हमने अपनी ताकत के बल पर कब्जा किया है हमे किसी से डर नहीं लगता है। हम ऐसे ही करेंगे और कब्जा नहीं छोडेंगे।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे:-

अ- डिक्री इजराय दखलयाबी बहक वादी पारित की जाकर आ.ख.नं. 1242/1437/0.20 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ-बास से प्रति.नं. 1, 2, 3 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे। तथा प्रति.को किये गये अतिक्रमण की बाबत वादी बतौर डैमेज 5000/= सालाना दिलाया जावे।

ब- हरजा खर्चा मुकदमा का प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे।

स- अन्य सहायतका जो नजदीक अदालत श्रीमान हो वादी को अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.नं. 3 की ओर से श्री लेखराम एड. का वकालतनामा पेश हुआ। इसके पश्चात प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादी की साक्ष्य लीगई।

वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लु 1. लक्खीराम पुत्र ताराचन्द दी कोशलपुर पी.डब्लु 2 का शपथ पत्र पेश किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरागिरदावरी सं. 2072-75 प्रदर्श 1. नकल जमाबन्दी सं. 2072-75 प्रदर्श 2. नकल इन्तकाल नं. 2163 प्रदर्श 3 पेश किये हैं।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश की तथा नजीर के रूप में आर.आर.टी. 2018{2}पृ. 1434-37 पेश की । वकील वादी ने निवेदन किया कि श्रीमान लिखित बहस का अवलोकन फरमावें व वादी के वाद को डक्री फरमाया जावे।

हमने लिखित बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं. 2072-75 प्रदर्श 2 के अवलोकन से साबित है

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

कि खानं. 1242/0.61 पक्षकारान की सहखातेदारी का था जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा था नकल इन्तकाल सं. 2163 प्रदर्श 3 से साबित है कि तकासमा का वाद डिक्री होकर डिक्री दिनांक 12-3-16 के आधार पर दर्ज वो मंजूर हुवा है। उक्त दस्तावेजात व साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से साबित है कि आ.ख. नं. 1242/1437/0.20 वादी की खातेदारी का है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के हाजिर भी नहीं हुये उन्होने वाद का प्रतिरोध भी नहीं किया। वाद वादी श्री भति साबित है। वाद डिक्री किया जावना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश हैं कि:-

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आ.ख. नं. 1242/1437/0.20 वाके ग्राम अलमदीका तहसील कि.बास से प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 3 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार किशनगढ-बास को आदेश दिये जाते हैं कि प्रति. को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलावें। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास §अलवर §

Scanned by CamScanner